दिनांक 17.11.2016 को विकास आयुक्त द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंस में दिए निर्देश.

1. स्वच्छ भारत मिशन

प्रगति में सुधार आवश्यक है। कई जिलों में नवंबर माह के स्वनिर्धारित लक्ष्य realistic नहीं हैं। सभी जिले नवम्बर माह के लिए संशोधित लक्ष्य निम्न रूप में गूगल शीट पर दर्ज करें :

a. FTO जारी करने का लक्ष्य

b . APL Others में शौचालय निर्माण का लक्ष्य

2. आवास योजनायें

2.1 सभी सीईओ जिला पंचायत अद्यतन प्रगति गूगल शीट पर प्रत्येक बुधवार सायं 5 बजे तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

2.2 प्रधान मंत्री आवास योजना संबंधी तकनीकी समस्याओं का निराकरण आगामी 3 दिनों में करें। PMAY के लिए 21.11.16 को 12 से 2 बजे VC होगी।

3. महात्मा गाँधी नरेगा

3.1 विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 18.10.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर एक ग्राम पंचायत में एक सुदूर ग्राम संपर्क सड़क स्वीकृत की जाए।

3.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुदूर ग्राम संपर्क उपयोजना अंतर्गत एक सड़क चिन्हित कर नवीन तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए समय सीमा दिनांक 30 नवम्बर 2016 होगी। दिसम्बर के प्रथम पक्ष के लिए मस्टर जारी करें।

3.3 सुदूर ग्राम संपर्क सड़क निर्माण के लिए अधिकतम लागत सीमा प्रति मीटर 1100/– रुपये तथा काली मिटटी के क्षेत्र में 1250/– रुपये होगी। एक पाइप के कल्वर्ट की लागत सीमा रूपये 1(एक) लाख एवं 2 पाइप के कल्वर्ट की लागत सीमा रूपये 1.25 लाख होगी। एक किलोमीटर में 3 से ज्यादा कल्वर्ट आवश्यक हो तो कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की स्वीकृति आवश्यक होगी। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा स्थल निरीक्षण करने के बाद ही ऐसी स्वीकृति दे सकेंगे।

3.4 कपिलधारा कूप के साथ खेत तालाब अनिवार्य किये जाने के परिप्रेक्ष्य में डार्क जोन में कपिलधारा उपयोजना के तहत कार्य पर कोई रोक नहीं होगी।

3.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि खेत तालाब की स्वीकृति के लिए कपिलधारा उपयोजना के तहत स्वीकृति का बंधन नहीं है। खेत तालाब की पृथक स्वीकृति देने पर कोई रोक नहीं है।

3.6 दिसंबर 1,2016 की VC में सुदूर सड़क, कपिलधारा , खेत तालाब, नाडेप/वेर्मिकोम्पोस्ट, तालाबों के सृदृढ़ीकरण की स्वीकृति एवं प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद